

मीरजापुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक: 28.09.2022

विन्ध्याचल मेला में चोरी की योजना बना रहे चोर गिरोह का पर्दाफाश, 09 अदद मोबाइल तथा नगदी के साथ 08 अभियुक्त गिरफ्तार —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'संतोष कुमार मिश्रा' द्वारा शारदीय नवरात्र मेला विन्ध्याचल को सकुशल व निर्बाध रूप सम्पन्न कराए जाने एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पर्याप्त पुलिस बल का डिप्लायमेंट किया गया है। मेला क्षेत्र में व विभिन्न घाटो पर सादे वस्त्र तथा वर्दी में पुलिस बल की विभिन्न प्रकार की ड्यूटीयां यथा-एंटी चैन स्नेचिंग, एंटी थैफ्ट टीम, गुण्डा दमन दल, अभिसूचना इकाई, स्वाट टीम, एसओजी टीम सहित अन्य गठित टीमों को विन्ध्याधाम मेला क्षेत्र में सतत् रूप से भ्रमणशील रहकर सतर्क दृष्टि रखते हुए संदिग्धों की चेंकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं तथा साथ ही साथ मेला में बने कन्ट्रोल रूम पर 24 घण्टे लगातार पुलिसकर्मियों द्वारा मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

आज दिनांक: 28.09.2022 को थाना विन्ध्याचल पुलिस, स्वाट व एसओजी टीम मय पुलिस बल दर्शनार्थियों की सुरक्षा हेतु मेला क्षेत्र व घाटों पर भ्रमणशील थी कि इस दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा आपस में मेला में आने वाले श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के सामान की चोरी करने के बारे में योजना बनाई जा रही थी। थाना विन्ध्याचल पुलिस बल द्वारा दबिश देकर कुल 08 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिनके कब्जे से 09 अदद मोबाइल तथा ₹ 10200/- नगद बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-181/2022 धारा 401 भादवि पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ — गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उनके द्वारा मेला क्षेत्र तथा विभिन्न घाटो पर रेकी की जाती है तथा समय देखकर दर्शनार्थियों का बैग, पर्स, मोबाइल इत्यादि की चोरी कर लेते हैं। हम लोग आपस में एक साथ बैठकर सामान चोरी करने के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे कि प्रतिदिन स्थान बदल-बदल कर किसी दिन घाट पर तो किसी दिन मंदिर परिसर के आसपास बहुत ही सतर्क व सावधान रहकर चोरी करें तथा अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा प्रतिवर्ष नवरात्र मेला में गोण्डा से आकर यही आस पास रहकर चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1-संजय कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-32 वर्ष।
- 2-रामबरन पुत्र बालेश्वर निवासी दुलहापुर थाना धानीपुर जनपद गोण्डा, उम्र करीब-57 वर्ष।
- 3-लवकुश पुत्र गोलाराम निवासी छजवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-28 वर्ष।
- 4-लालचन्द्र पुत्र शिवराम निवासी मतवरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-37 वर्ष।
- 5-मनोज कुमार पुत्र वीरेंद्र निवासी डुमरिया डीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-29 वर्ष।
- 6-गुड्डू पुत्र नवादीन निवासी माथेपुर खड़ाहारी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-40 वर्ष।
- 7-श्रीराम पुत्र स्व0 सुद्ध राम निवासी माथेपुर खड़ाहारी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-29 वर्ष।
- 8-बजारीलाल पुत्र स्व0 सूर्यलाल निवासी माथेपुर खड़ाहारी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, उम्र करीब-55 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-181/2022 धारा 401 भादवि थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास— अभियुक्त- संजय कुमार पुत्र किशोरी लाल

- 1-मु0अ0सं0-96/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
- 2- मु0अ0सं0-136/2019 धारा 401,411,414,41 भादवि थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर।
- 3-मु0अ0सं0-254/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

विवरण बरामदगी — 09 अदद मोबाइल व ₹ 10200/- नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

- 1-उ0नि0 दयाशंकर ओझा थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर मय टीम।
- 2-उ0नि0 राजेश जी चौबे प्रभारी स्वाट टीम मीरजापुर मय पुलिस टीम।
- 3-निरी0 सत्येन्द्र कुमार यादव प्रभारी एसओजी टीम मीरजापुर मय पुलिस टीम।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा पुलिस टीम को ₹ 20 हजार के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

